(21)

# कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर

क्रमांक........................./नग्रानि/एल–89/01.10.13 जबलपुर दिनांक–––––/12/13

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी

राजस्व, जिला–जबलपुर

विषयः–मौजा–महगवॉं,प0ह0नं005 खसरा क्रमांक 16,18,1, 14, 15, 19, 3/1, 11/1,11/3,12,17,2/1,8,9,10/1,10/3,13/1,4/1 कुल रकबा 8.70 हे. में से रकबा 8.44 हे. (यानि–84400.00 वर्गमीटर) भूमि मे आवासीय प्रयोजन हेत मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्टीकरण निर्बधन तथा शर्ते नियम) 1999 विकास अनापत्ति विषयक।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/281/अ0वि0अ0/प्र–2/2013 जबलपुर दिनांक 17.09.13 आवेदक द्वारा प्राप्त जानकारी दिनांक 28.11.13

संदर्भित आवेदन पत्र में आवेदक श्री सरमन कुमार माखीजा श्री अमृत लाल माखीजा, आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री मुरलीधर माखीजा, श्री संजय माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्रीमति माधवी माखीजा पति श्री अमृतलाल माखीजा सभी निवासी 701, छोटी ओमती तहसील जिला जबलपुर द्वारा मौजा–महगवॉं , प0ह0नं0 05 खसरा क्रमांक ख.कं. 16 का रकबा 0.570, ख.कं. 18 का रकबा 0.130, ख.कं. 01 का रकबा 0.910, ख.कं. 14 का रकबा 1.080, ख.कं. 15 का रकबा 0.560, ख.कं. 19 का रकबा 0.110, ख.कं. 3/1 का रकबा 0.430, ख.कं. 11/1,3 का रकबा 0.450, ख.कं. 12 का रकबा 0.330, ख.कं. 17 का रकबा 0.660, ख.कं. 2/1 का रकबा 0.450, ख.कं. 8 का रकबा 0.750, ख.कं. 9 का रकबा 0.320,ख.कं.10/1,3 का रकबा 0.460,ख.कं.13/1 का रकबा 0.300,ख.कं. 4/1 का रकबा 1.190, कुल रकबा 8.70 हे में से रकबा 8.44 हे. (यानि– 84400.00 वर्गमीटर) भूमि मे आवासीय ( भूखण्डीय विकास–"**राजुल स्टेट**" ) उपयोग हेतु यथा–वर्णित विकास कार्यो को कियान्वित करने हेतु संलग्न अभिन्यास अनुसार निम्नलिखित निरबंधनों एवं शर्तो के अधीन रहते हुए विकास अनापत्ति प्रदान की जाती है :–

1–निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

1–मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

2–मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1998

3–मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते )नियम 1999

4–म0प्र0 गृह निर्माण मंडल (मंडल से लगी भूमि के विकास की स्थिति में )

5–भू–अर्जन अधिकारी जिला जबलपुर

6–म0प्र0 विद्युत मंडल जिला जबलपुर

7–संबंधित शासकीय विभाग (शासकीय विभाग से लगी भूमि की विकास की स्थिति में )

8–राष्ट्रीय राज मार्ग/राजकीय राज मार्ग प्राधिकारी ( राष्ट्रीय राज मार्ग/राजकीय राज मार्ग प्राधिकारी से लगी भूमि के विकास की स्थिति में )

9–म0प्र0 प्रदूषण निवारण मंडल भोपाल।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति/अनापत्ति अनिवार्य हो तो आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।

2–मुख्य मार्ग से प्रस्तावित भूमि तक पहुॅच मार्ग का विकास आवेदक को स्वयं करना होगा।

3–नियमानुसार बाहय विकास लागत राशि/पर्यवेक्षण राशि संबंधित संस्था/विभाग में जमा कराना होगी तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानको/शर्तो के आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र इस कार्यालय से भी प्राप्त करना होगा जो कि अंतिम अनापत्ति होगा।

4–मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्टीकरण निर्बधन तथा शर्ते नियम) 1999 में वर्णित प्रावधानों के पालन कराने की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की होगी ।

5–मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन शर्ते) 1999 के नियम 10(4) के अनुसार अभिन्यास में दर्शाये अनुसार आवासीय कालोनी में पूर्ण विकसीत भूखण्डो के पंद्रह प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर विकसीत भूखण्डो के एक चौथाई (25 प्रतिशत) भाग पर कमजोर आय वर्ग के लिए 25 वर्गमीटर प्रति इकाई के मान से 58 इकाईयों के भवन नियमानुसार निर्मित कर पात्र हितग्राहियो को नियमानुसार उपलब्ध कराना होगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका पालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक होगा। म0 प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम 20 अप्रैल 2013 की धारा 61 ग (2)(3) के अनुशार वर्तमान मे प्रचलित नियमो के अंतर्गत आवासीय इकाईयों की संख्या का अंतिम निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया ही मान्य होगा।

6–संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/,बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

7–अनापत्ति अभिन्यास अनुसार भूखण्डों का विकय के दौरान विकय पत्र में प्रदत्त विकास अनापत्ति का कमांक व दिनांक उल्लेखित करना अनिवार्य होगा ।

8–आधे अधूरे भूखण्ड पूर्ण होनें के पश्चात ही मान्य होंगे।

9–आवासीय परिसरों से निकलने वाले धूसर जल को रिसाइकिल कर हरित क्षेत्रों के रख रखाव हेतु उपयोग मे लाने की व्यवस्था की जाना होगा। दुषित जल का निस्तार सार्वजनिक नाले इत्यादि में प्रतिबंधित रहेगा।

10–एच0टी0लाईन के नीचे आने वाले भूखण्डो में भवन अनुज्ञा न दी जावे।

11–कालोनियों में अनापत्ति अभिन्यास के अनुरूप छोडे गये खुले स्थानों के विकास में पार्क,बगीचे एवं वृक्षों का समूह,छोटे बच्चों के खेले के स्थान,उचित प्रकाश पेयजल व्यवस्था, जल–मल निकासी की व्यवस्था सडक एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये ।

12–जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतियॉं प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

13–प्रश्नाधीन स्थल पर अनापत्ति अभिन्यास के अनुसार विकास कार्य प्रांरभ करने के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

14–स्थल के ऊपर से गुजर रही नहर की परिसीमन के दोनों और समांनान्तर 9 मीटर भूमि खुली छोडना होगी एवं नहर के ऊपर से प्रस्तावित पुल की अनापत्ति लेनी होगी तत्पश्चात ही उस पुल का विकास कार्य किया जा सकेगा।

15–रेल्वे परिसीमन से 30 मीटर भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण रेल्वे विभाग की बिना अनुमति के मान्य नही होगा।

16–स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी जिला जबलपुर से अनापत्ति अभिन्यास अनुसार भूमि का आवासीय हेतु भू–राजस्व संहिता की धारा 172(4) के अन्तर्गत भू–व्यपवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा ।

17–प्रस्तावित भवनो में वर्षा/छत के पानी की हार्वेसटिंग प्रणाली की व्यवस्था कर इसका विकास, करना आवश्यक होगा।

18–मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्डों के लिए वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा मार्ग एवं पार्क का विकास कर उसे संबंधित संस्था/ग्राम पंचायत महगवॉ जिला जबलपुर में निःशुल्क हस्तांतरित करना होगा।

19–विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधाऐं जैसे–जल प्रदाय,मल प्रवाह,वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था पुलिया का निर्माण आदि सुविधा अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकरी से प्राप्त करना होगा ।

20–एक बार दी गई अनापत्ति 3 वर्ष तक विधि मान्य होगी इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पुनः विधि मान्य कराना होगा एवं पुनः विधिमान्यकरण लगातार दो अवधियो के लिए जिसमें प्रत्येक अवधि एक वर्ष की किया जा सकेगी ।

21–भूमि का सक्षम कार्यालय से प्राप्त सीमांकन एवं अनापत्ति अभिन्यास अनुसार स्थल सीमांकन करने के पश्चात यदि भिन्नता होती है तो उसकी अनापत्ति इस कार्यालय से प्राप्त कराना आवश्यक होगा ।

22–संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाए गए मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अतः मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्री वाल से अवरूद्व किया जाना मान्य नहीं होगा ।

23–प्रस्तावित अभिन्यास के आस–पास लगी भूमि की सीमाओ पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गो की निरंतरता पर भूखण्डो का समयोजन किया जाना अनिवार्य होगा ।

24–प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के विकास संबंधी अधिनियमो नियमो तथा उपविधियो के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

25–कालोनी का रख–रखाव हेतु ग्राम पंचायत महगवा जिला जबलपुर को हस्तांतरित करने के लिए निधारित मापदण्डों का पालन करना होगा ।

26–अनापत्ति अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावेगा तथा भूमि संबंधी विवाद होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

27–यह अनापत्ति आवेदक श्री सरमन कुमार माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री अमृत लाल माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री मुरलीधर माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री संजय माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्रीमति माधवी माखीजा पति श्री अमृतलाल माखीजा सभी निवासी 701, छोटी ओमती तहसील जिला जबलपुर द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 05.08.2013 के आधार पर प्रदाय की जा रही हैं। किसी विवाद होने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतःही निरस्त मानी जावेगी ,यह अनापत्ति अहस्तांतरणीय होगी ।

28–अनापत्ति अभिन्यास का एक सत्यापित मानचित्र मय अनापत्ति पत्र आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा ।

29–स्थल पर अभिन्यास अनापत्ति संबंधी जानकारी एक 1.5 ग 1.25 मीटर साईज के लोहे के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

30–सरपंच ग्राम पंचायत, महगॅवा ,तह0 व जिला जबलपुर से प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं (विकास एवं भवन)अनुज्ञा एवं समस्त शर्तो का पालन कराना सुनिश्चित करें ।

31–उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन करने अथवा असत्य जानकारी देने की दशा में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

**संलग्न अनापत्ति अभिन्यास की प्रति**

(सी0के0साधव)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर

क्रमांक......4297....../नग्रानि/एल–89/01.10.13 जबलपुर दिनांक–02/12/13

प्रतिलिपि–

1 सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियत्रण,बोर्ड ई–5,अरेरा कालोनी पर्यावरण परिसर भोपाल ।
2 उप पंजीयक, जबलपुर ।
3 तहसीलदार जबलपुर की ओर पटवारी खसरा के कॉलम 12 मे " **नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का अभिन्यास विकास अनापत्ति दी गई है** " की टीप अंकित करने हेतु प्रेषित ।
4 कार्य पालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 4 बरगी हिल्स जबलपुर
5 सरपंच ग्राम पंचायत महगवा, तहसील व जिला जबलपुर ।
6 आवेदक श्री सरमन कुमार माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री अमृत लाल माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री मुरलीधर माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री संजय माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्रीमति माधवी माखीजा पति श्री अमृतलाल माखीजा सभी निवासी 701, छोटी ओमती तहसील जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी0के0साधव)
संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर

16–स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी जिला जबलपुर से अनापत्ति अभिन्यास अनुसार भूमि का आवासीय उपयोग हेतु भू-राजस्व संहिता की धारा 172(4) के अन्तर्गत भू-व्यपवर्तन कराया जाना आवश्यक होगा ।
17–प्रस्तावित भवनों में वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था कर इसका विकास, करना आवश्यक होगा।
18–मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्डों के लिए वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा मार्ग एवं पार्क का विकास कर उसे संबंधित संस्था/ग्राम पंचायत महगवाँ जिला जबलपुर में निःशुल्क हस्तांतरित करना होगा।
19–विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे-जल प्रदाय,मल प्रवाह,वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था पुलिया का निर्माण आदि सुविधा अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा ।
20–एक बार दी गई अनापत्ति 3 वर्ष तक विधि मान्य होगी इस अवधि की समाप्ति के पूर्व पुनः विधि मान्य कराना होगा एवं पुनः विधिमान्यकरण लगातार दो अवधियों के लिए जिसमें प्रत्येक अवधि एक वर्ष की किया जा सकेगी ।
21–भूमि का सक्षम कार्यालय से प्राप्त सीमांकन एवं अनापत्ति अभिन्यास अनुसार स्थल सीमांकन करने के पश्चात यदि भिन्नता होती है तो उसकी अनापत्ति इस कार्यालय से प्राप्त कराना आवश्यक होगा ।
22–संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाए गए मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्री वाल से अवरूद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा ।
23–प्रस्तावित अभिन्यास के आस-पास लगी भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता पर भूखण्डो का समयोजन किया जाना अनिवार्य होगा ।
24–प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के विकास संबंधी अधिनियमो नियमो तथा उपविधियो के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
25–कालोनी का रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत महगवा जिला जबलपुर को हस्तांतरित करने के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा ।
26–अनापत्ति अभिन्यास को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावेगा तथा भूमि संबंधी विवाद होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
27–यह अनापत्ति आवेदक श्री सरमन कुमार माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री अमृत लाल माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री मुरलीधर माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्री संजय माखीजा आत्मज श्री भारामल माखीजा, श्रीमति माधवी माखीजा पति श्री अमृतलाल माखीजा सभी निवासी 701, छोटी ओमती तहसील जिला जबलपुर द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र दिनांक 05.08.2013 के आधार पर प्रदाय की जा रही है। किसी विवाद होने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतःही निरस्त मानी जावेगी ,यह अनापत्ति अहस्तांतरणीय होगी ।
28–अनापत्ति अभिन्यास का एक सत्यापित मानचित्र मय अनापत्ति पत्र आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा ।
29–स्थल पर अभिन्यास अनापत्ति संबंधी जानकारी एक 1.5 x 1.25 मीटर साईज के लोहे के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
30–सरपंच ग्राम पंचायत, महगॅवा ,तह0 व जिला जबलपुर से प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं (विकास एवं भवन)अनुज्ञा एवं समस्त शर्तो का पालन कराना सुनिश्चित करें ।
31–उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन करने अथवा असत्य जानकारी देने की दशा में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
संलग्न अनापत्ति अभिन्यास की प्रति

संलग्न पत्र क्रमांक....4297.....दिनांक..02/14/13
में दी गई शर्तों के अनुसार आपत्ति नहीं।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, जबलपुर

अनापत्ति जारी दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

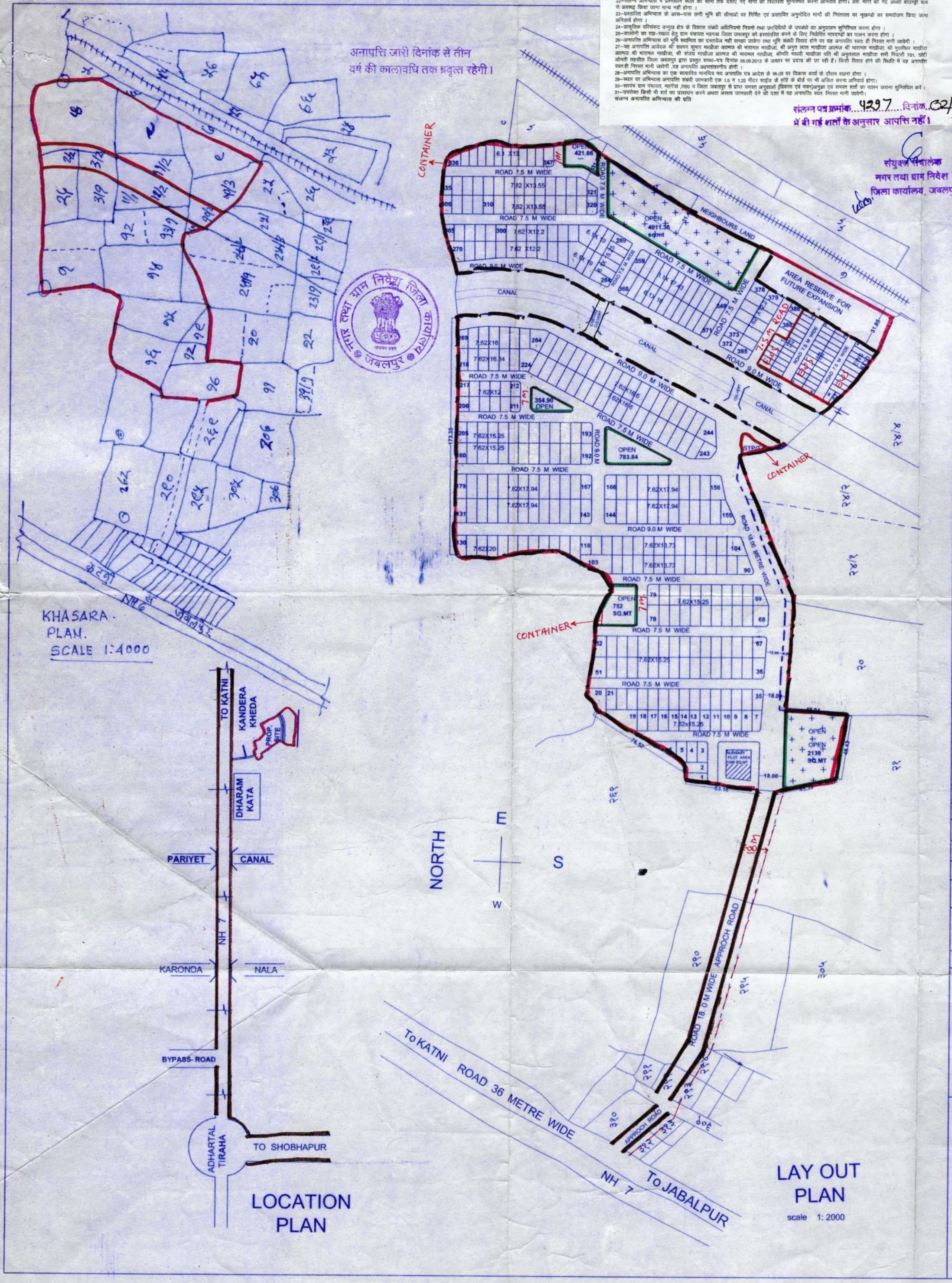


# PLAN SHOWING THE PROPOSED RAJUL ESTATE RESIDENTIAL LAYOUT. PLAN AT MOUJA GRAM MAHEGAWA

P.H.N. 57 R.I.C. MAHARAJPUR KH.NO 16,18, 1,14, 15,19, 3/1, 11/1, 11/3, 12, 17, 2/1, 8,9 10/1, 10/3, 13/1, 4/1 TAHSIL PANAGER DISTT. JABALPUR

BELONGING TO

SH SARWAN MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA
SH AMRATLAL MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA
SH MURLIDHAR MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA
SH SANJAY MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA
SMT MADHWI MAKHIJA W/O AMRITLAL MAKHIJA

BUILDER & DEVELOPER
M/S RAJUL BUILDERS PROPRIETOR
SH. DILIP MEHTA S/O DHIRAJLAL MEHTA

AREA FOR APPROCH ROAD

| OWNERS NAME | KH. NO. | IN HACT. |
|---|---|---|
| SH MURLIDHAR MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA | 292 | 0.153 |
| | 269 | 0.148 |

| OWNERS NAME | KH. NO. | IN HACT. |
|---|---|---|
| SH SARWAN MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA | 16 | 0.57 |
| | 18 | 0.13 |
| SH AMRATLAL MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA | 1 | 0.910 |
| | 14 | 1.080 |
| | 15 | 0.56 |
| | 19 | 0.110 |
| SH MURLIDHAR MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA | 3/1 | 0.430 |
| | 11/1+11/3 | 0.450 |
| | 12 | 0.330 |
| | 17 | 0.660 |
| SH SANJAY MAKHIJA S/O LT. BHARAMAL MAKHIJA | 2/1 | 0.450 |
| | 8 | 0.750 |
| | 9 | 0.320 |
| | 10/1+10/3 | 0.460 |
| | 13/1 | 0.300 |
| SMT MADHWI MAKHIJA W/O AMRITLAL MAKHIJA | 4/1 | 1.190 |
| | TOTAL | 8.7 HACT |

TOTAL LAND AREA = 87000.00 SQ M

| | | | |
|---|---|---|---|
| AREA RESERVE FOR FUTURE EXP. | = 2600 | sq.mt | |
| NET AREA | =84400 | sq.mt | 100.0 % |
| TOTAL PLOTABLE AREA | ~~=44770~~ 44718.00 | sq.mt | 53.04 % |
| OPEN GARDEN AREA | = 8440 | sq.mt | 10 % |
| AMENITES AREA ( S.T. ) | = ~~189~~ 241 | sq.mt | 0.22 % |
| AREA UNDER ROAD | = 27471 | sq.mt | 32.54 % |
| E.W.S. PLOT AREA | = 2530 | sq.mt | 3 % |
| NURSARY AREA | = 1000 | sq.mt | 1.18 % |

TOTAL NO OF PLOT = 388 NOS
EWS PLOT S 15 % = 58 NOS

1 E.W.S. UNIT AREA =40 SQ.MT

LEGEND
PROPOSED WORK
EXISTING WORK
NEIGHBOUR'S
ROAD
DRAIN
PLOT BOUNDARY

SIGN. OF APPLICANT


ARPIT 'N' ASSOCIATES
ER. ARPIT PANDEY L.NO. -208
Arpit 'N' associates
Shop no. 2, Bus Stand Complex
Beside Pawar Hotel, Jabalpur (M.P.) 0761-3255399
AR. PUNEET KUMAR PANDEY
CAO NO. CA / 97 /22302

ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERSR, (M.P)
BLOCK NO 10 2ND FLOOR ABOVE BATA SHOW ROOM

(PH.- 0761.2480399)
E . MAIL arpit n associates @ gmail .com

**कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय,**
**जबलपुर, नरसिंहपुर, म.प्र.**
ब्लॉक– 15, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर(म.प्र.)
Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981


क्रमांक–2186 / नग्रानि / एल–89 / 01.10.13 जबलपुर दिनांक–10 / 08 / 2017

प्रति,

**श्री सरमन कुमार माखीजा पिता श्री भारामल मखीजा**
**एवं अन्य निवासी 701, छोटी ओमती तह0 व जिला जबलपुर**

विषय– विकास अनापत्ति मानचित्र की अवधि बढाने बावत्

संदर्भ– आपका पत्र दिनांक 01.08.17 एवं जानकारी दिनांक 08.08.17।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र श्री सरमन कुमार माखीजा पिता श्री भारामल मखीजा एवं अन्य निवासी 701, छोटी ओमती तह0 व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम–महगवा, प0ह0न0 05, ख0 न0 16, 18, 1, 14, 15 एवं अन्य कुल रकबा 8.70 हे0 में से 8.44 हे0 भूमि में आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है। स्थल निरीक्षण दिनांक 05.08.2017 किये गये उपरांत पाया गया है। आपके द्वारा स्थल पर विकास कार्य किया गया है। अतः मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 23(3) के अनुसार उस दशा में जहां की परियोजना का निष्पादन प्रदान की गई अनुज्ञा के विधिमान्य रहने के दौरान प्रांरभ होता है, अनुज्ञा तत्पश्चात किसी भी समय व्यपगत हुई नहीं समझी जायगी तथा कोई पुनर्विधिमान्यकरण अपेक्षित नही होगा।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर म.प्र.